महोबा पुलिस

दिनांक- 29.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 949/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 29.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



दिनांक- 29.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 950/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खन्ना की देखरेख में गठित पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 29.10.2026 को थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2026, धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त महेन्द्र उर्फ भोला पुत्र महेश प्रजापति, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम खन्ना, थाना खन्ना, जनपद महोबा तथा इसी मुकदमे में धारा 87, 64(1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र स्वर्गीय कामता प्रसाद, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम गहरौली, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर को सब्जी मंडी गेट, कस्बा खन्ना से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. महेन्द्र उर्फ भोला पुत्र महेश प्रजापति, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम खन्ना, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
2. सौरभ कुमार पुत्र स्वर्गीय कामता प्रसाद, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम गहरौली, थाना मुस्करा, हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. वरिष्ठ उपनिरीक्षक बृजेश कुमार
2. का0 राहुल कुमार
3. का0 अरविन्द कुमार पाल



महोबा पुलिस

दिनांक- 29.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 951/26

पुलिस अधीक्षक महोबा की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित, अपराध नियंत्रण और आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए कड़े निर्देश

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा दिनांक 28.10.2026 की सायंकाल पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों की उपस्थिति में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, निरोधात्मक कार्यवाही, यातायात व्यवस्था, बीट पुलिसिंग तथा विभिन्न अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई।
- सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके उपरांत अभियोजन अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण प्रकरणों में विधिक पहलुओं पर विचार-विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार प्रभावी विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
- मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित विवेचनाओं, अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनसुनवाई की समीक्षा की गई। उन्होंने जमीनी विवादों, महिला संबंधी अपराधों एवं अन्य गंभीर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने तथा IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए।
- आगामी धनतेरस एवं दीपावली पर्व के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, सराफा बाजारों एवं प्रमुख बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी गश्त तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। शीत ऋतु के दृष्टिगत रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी बनाने, जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- अपराध नियंत्रण के लिए अवैध जुआ, शराब, गांजा एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, निष्कर्षण एवं तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने तथा अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने एवं आमजन को जागरूक करने हेतु जनजागरूकता अभियान संचालित करने पर बल दिया गया।
- पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम तथा आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु पूर्ण संवेदनशीलता, तत्परता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।
- इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी श्री रविकांत गोंड, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी श्री अनिरुद्ध कुमार, क्षेत्राधिकारी श्री अजय पाल सिंह, क्षेत्राधिकारी श्री तेज प्रकाश सिंह सहित जनपद के समस्त थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



